

ज. अदालत अनुमंडल परीक्षकरी मध्यपुर

R.M. Case No. 104/17-18

अब्दुल रहमान जगन्- वडा कर्मचारी मिश्र

| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर                                                                                                                                                            | आदेश पर की कार्रवाई तारी सहित |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                          | 3                             |
| 3.1.22                     | उत्तर पर अनुपस्थित। दिने 7.3.22 को रखा                                                                                                                                                     |                               |
| 7.3.22                     | उत्तर पर अनुपस्थित। दिने 20.5.22 को रखा                                                                                                                                                    |                               |
| 20.5.22                    | उत्तर पर अनुपस्थित। दिने 27.7.22 को रखा                                                                                                                                                    |                               |
| 30.12.22                   | अभिलेख उपस्थापित। उत्तर पर अनुपस्थित। दिने 27.2.23 को रखा                                                                                                                                  |                               |
| 27.2.23                    | आवेदक अनुपस्थित। विपरीत अनुपस्थित। आवेदक लगातार अनुपस्थित होते आ रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अब वाद में कोई अभिप्रेत नहीं रह गई है।<br>अतः वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। |                               |

अनु० 4210